Samyak
An Institute For Civil Services

Model Answer

Que. Highlight the role of the Constituent Assembly in giving a final shape to our Constitution.

The Constituent Assembly of India, established under the Cabinet Mission Plan of 1946, played a pivotal role in framing the Indian Constitution. This body, composed of eminent leaders and legal experts, undertook the responsibility of drafting a comprehensive and inclusive Constitution to guide a newly independent India.

Role of the Constituent Assembly in Shaping the Constitution:

1. **Drafting and Debating Key Principles:**
    - The Assembly debated fundamental principles like sovereignty, democracy, secularism, and socialism to provide a vision for the nation.
    - Influenced by global constitutions and indigenous practices, it ensured a balance between tradition and modernity.
2. **Formation of Committees:**
    - Various committees were formed to streamline the drafting process. Notable among them was the Drafting Committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar. Other committees included the Fundamental Rights Committee, Union Powers Committee, and Provincial Constitution Committee, among others.
    - These committees specialized in specific areas and provided detailed recommendations.
3. **Incorporation of Fundamental Rights and Directive Principles:**
    - The Assembly ensured the inclusion of justiciable Fundamental Rights to guarantee individual liberty and non-justiciable Directive Principles to guide state policies for socio-economic development.
    - It balanced individual freedom with social justice, creating an equitable framework.
4. **Representation of Diversity:**
    - The Assembly, representing all sections of society, incorporated provisions to protect minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and women.
    - Federal principles were adopted to accommodate India's linguistic, cultural, and regional diversity.
5. **Adopting a Parliamentary Democracy:**After rigorous discussions, the Assembly chose a parliamentary system of government, ensuring accountability through collective responsibility.
6. **Resolving Contentious Issues:**Contentious issues like language, the structure of the judiciary, and the powers of the President were debated extensively. Consensus-building was key to finalizing these provisions.
7. **Vision for a Secular State:**By emphasizing equality of all religions, the Assembly rejected theocracy and ensured a secular framework that respected India's diverse religious fabric.
8. **Final Adoption and Implementation:**The Constitution was adopted on **26th November 1949** and came into effect on **26th January 1950**, symbolizing India's transition into a sovereign democratic republic.

Significance of the Constituent Assembly's Work:

- It ensured a comprehensive and inclusive Constitution that balanced individual rights with societal needs.
- By resolving differences through dialogue, it laid the foundation for India's democratic ethos.
- The Assembly's visionary approach allowed the Constitution to remain relevant and adaptable even in contemporary times.

The Constituent Assembly's role in shaping India's Constitution was transformative. It provided a framework for governance rooted in justice, liberty, equality, and fraternity. Its farsightedness and inclusivity have made the Indian Constitution a living document, guiding the nation through challenges and changes over decades.

हमारे संविधान को अंतिम रूप देने में संविधान सभा की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रख्यात नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों से बनी इस संस्था ने नए स्वतंत्र भारत का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक और समावेशी संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी ली।

संविधान को अंतिम रूप देने में संविधान सभा की भूमिका:

- ***प्रमुख सिद्धांतों का प्रारूपण और बहस:***
  - *सभा ने राष्ट्र के लिए संप्रभुता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे सिद्धांतों पर बहस की।*
  - *वैश्विक संविधानों और स्वदेशी प्रथाओं से प्रभावित होकर, इसने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन सुनिश्चित किया।*
- ***समितियों का गठन:***
  - *प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कई समितियाँ बनाई गईं। इनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति उल्लेखनीय थी। अन्य समितियों में मूल अधिकार समिति, संघीय शक्ति समिति और प्रांतीय संविधान समिति आदि शामिल थीं।*
  - *ये समितियाँ विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती थीं और विस्तृत अनुशंसाएं प्रदान करती थीं।*
- ***मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों का समावेश:***
  - *सभा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के लिए न्यायोचित मौलिक अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य की नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए गैर-न्यायोचित निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करना सुनिश्चित किया।*
  - *इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक न्याय के साथ संतुलित किया, जिससे एक न्यायसंगत ढांचा तैयार हुआ।*
- ***विविधता का निरूपण:***
  - *समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस सभा ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल किए।*
  - *भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करने के लिए संघीय सिद्धांतों को अपनाया गया।*
- ***संसदीय लोकतंत्र को अपनाना:*** *गहन विचार-विमर्श के बाद, सभा ने सामूहिक उत्तरदायित्व के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संसदीय प्रणाली की सरकार को चुना।*
- ***विवादास्पद मुद्दों का समाधान:*** *भाषा, न्यायपालिका की संरचना और राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे विवादास्पद मुद्दों पर व्यापक बहस हुई। इन प्रावधानों को अंतिम रूप देने में सर्वसम्मति बनाना महत्वपूर्ण था।*
- ***धर्मनिरपेक्ष राज्य:*** *सभी धर्मों की समानता पर जोर देकर, सभा ने धर्मतंत्र को अस्वीकार किया और एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा सुनिश्चित किया जो भारत के विविध धार्मिक रूप का सम्मान करता था।*
- ***अंतिम अंगीकरण एवं कार्यान्वयन:*** *संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन का प्रतीक था।*

संविधान सभा के कार्य का महत्व:

- *इसने एक व्यापक और समावेशी संविधान सुनिश्चित किया, जिसने व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित किया।*
- *संवाद के माध्यम से मतभेदों को हल करके, इसने भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार की नींव रखी।*
- *विधानसभा के दूरदर्शी दृष्टिकोण ने संविधान को समकालीन समय में भी प्रासंगिक और अनुकूलनीय बनाए रखने की अनुमति दी।*

भारत के संविधान को आकार देने में संविधान सभा की भूमिका परिवर्तनकारी रही। इसने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित शासन के लिए एक ढांचा प्रदान किया। इसकी दूरदर्शिता और समावेशिता ने भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बना दिया, जिसने दशकों से चुनौतियों और परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है।

Samyak
An Institute For Civil Services